

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(संसद के अधिनियम संख्या-25 (2009) के तहत स्थापित, नैक से 'ए' ग्रेड प्राप्त) (Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament, Accredited 'A' Grade by NAAC) जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा - 123031 District Mahendergarh, Haryana

No.: CUH/E&GA/2024/Office Order/ 432@

दिनांक: 10.04.2024

कार्यालय आदेश/ Office Order

विश्वविद्यालय की संपत्ति पर किसी भी अनिधकृत कब्जे के मामले में, संबंधित विभागाध्यक्षा/ शाखा प्रभारी द्वारा बाजार किराया (व्यावसायिक) भुगतान किया जाएगा और यह उसके वेतन से काटा जाएगा ।

In case of any unauthorized occupation of the University property, market rent (commercial) will be paid by the concerned Head of the Department/Branch In Charge and the same will be deducted from his/her salary.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। This is issued with the approval of the Competent Authority.

सहायक कुलसचिव/Assistant Registrar Estate & General Administration Branch

प्रति/Copy to:

- 1. सभी शिक्षक, ह.के.वि./All faculty members, CUH
- 2. सभी शिक्षणेतर कर्मचारी, ह.के.वि./All non-teaching employees, CUH
- 3. समकुलपति सचिवालय (समकुलपति की सूचना हेतु), ह.के.वि./Pro Vice-Chancellor's Secretariat, CUH
- 4. कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव की सूचना हेतु), ह.के.वि./Office of the Registrar, CUH